

अंकों की आपाधापी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की किरण

रुचि वर्मा*

“ये बच्चा कक्षा में सबसे होशियार है क्योंकि सबसे अधिक अंक इसके आते हैं और ये निरा बौड़म हमेशा सबसे कम नंबर पाता है।” इस प्रकार के वक्तव्य कानों में पड़ना एक आम बात है। होशियारी का प्रतीक परीक्षा में प्राप्त अंक और परीक्षा में प्राप्त अंकों का गणित ही सफलता की कुँजी। इस प्रकार का समीकरण हमारी शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग बन गया है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उन्नति इसी अंक व्यवस्था पर टिकी है। जिसके जितने अधिक अंक उसके पास उतनी अधिक बुद्धि। यानी बुद्धि और अंकों के समीकरण को समानुपाती चिह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार की मानसिक अवधारणा से बँधे हैं हम लोग।

शिक्षा व्यवस्था के नए आयामों के विषय में जानकारी रखने वाले मेरे मित्र सोच रहे होंगे कि कितनी पुरानी बात की जा रही है। अब कहाँ नंबर व्यवस्था अब तो Grading (ग्रेडिंग) का ज़माना है – ‘No detention’ (नो डिटेंशन) को बढ़ाना है।

शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षा के स्तर में सुधार मूल्यांकन पद्धति में सुधार के बिना संभव नहीं। ऐसी ही चर्चा *राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005* में भी की गई है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की संकल्पना की गई है जो मात्र परीक्षा-केंद्रित ना होकर बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल दे। परीक्षा के तनाव एवं बंधन से बालक को मुक्त कर, बालक में कौशल को विकसित होने के लिए तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध करा सके।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम-2009 इस दिशा में परिवर्तन की ओर कदम है। इस अधिनियम के तहत छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। साथ ही यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत् प्रणाली एवं बालक-केंद्रित ज्ञान की

* सहायक आचार्य, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार पर भी बल देता है। यह कक्षा आठ तक औपचारिक परीक्षा प्रणाली को रोकते हुए बच्चे को अनुत्तीर्ण करने पर पाबंदी लगाता है।

आर.टी.ई. के इन प्रावधानों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सी.सी.ई. यानि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मंत्र अस्तित्व में आया। यह बिना परीक्षा लिए बच्चे के अधिगम को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाता है। साथ ही शिक्षक-अधिगम प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुधारों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। स्कूलों में सी.सी.ई. का परचम जोर-शोर से लहराया लेकिन सी.सी.ई. का अर्थ निश्चित समयांतराल पर परीक्षण (Text) लेने तथा प्रोजेक्ट बनवाने तक सीमित होता नज़र आया। गतिविधियों ने सी.सी.ई. के व्यावहारिक अर्थ को किनारा करते पाया। शब्दों का जंजाल और गले का संकट बनते नज़र आया। क्या इससे पहले कभी सी.सी.ई. नहीं हुआ? समझने से पहले यह आवश्यक है कि इसके अर्थ को जानें।

पारंपरिक तौर पर मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य उस प्रक्रिया तक सीमित रहता है जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के बाद की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। पाठ के अंत में, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर याद कर परीक्षा में उसे पन्नों पर उतार देना ही मूल्यांकन का आधार बनता है। यह इस बात से परे है कि यह उपलब्धि किस प्रकार हासिल की गई है। कुछ मापदंडों के आधार पर यह निश्चित कर लिया जाता है कि बालक का स्तर क्या है। परंतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप

में प्रस्तुत होता है। इस प्रक्रिया के दौरान बालक के अधिगम स्तर का अनौपचारिक मापन कर उसे आगे के सीखने की योजना का आधार बनाया जाता है। एक समयान्तराल के बाद बालक के व्यवहार में आए बदलाव को समझना भी अति आवश्यक है क्योंकि सुधार समय माँगता है। इस प्रकार सतत मूल्यांकन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु एक सूचक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक एक प्रेरक के रूप में विद्यार्थी को आवश्यकतानुसार दिशा प्रदान कर उसके कौशलों को विकसित करने में मदद कर पाता है।

शिक्षक, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बालक के मात्र शैक्षणिक पक्षों को शामिल ना करते हुए उसके सह-शैक्षणिक पक्षों पर भी बराबर जोर देते हुए बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रेरित कर पाता है। मूल्यांकन की परंपरावादी प्रविधियों जैसे कि लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के अलावा अन्य प्रविधियों यथा अवलोकन, साक्षात्कार, रचनात्मक क्रियाकलापों इत्यादि को व्यवहार में लाता है।

इस प्रक्रिया में बालक के स्थान और उसके महत्त्व को निश्चित किए बिना शिक्षण का उद्देश्य यदि सिर्फ पाठ्यवस्तु को दोहराना हुआ तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बहुत सीमित हो जाती है जिसमें हमारी शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य सीमित होकर मात्र किताबी ज्ञान तक पहुँचना भर रह जाता है। परंतु जब हम बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना प्रारंभ करते हैं, तो हर कदम पर हमें

उसकी उपलब्धियों का आकलन करना आवश्यक बन जाता है। इसी आकलन के आधार पर आगे की योजना सुनिश्चित की जाती है। अतः सतत मूल्यांकन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में एक प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है, यथा –

1. संज्ञानात्मक विकास में
2. भावात्मक विकास में, और
3. क्रियात्मक कौशलों के विकास में।

अब मूल्यांकन मात्र पाठ के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्नों तक सीमित नहीं रह जाता वरन् पाठ्यवस्तु के विकास के दौरान उभरे प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने एवं इस प्रक्रिया में लगाए गए प्रयासों पर केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार शिक्षक बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को तराशते हुए उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत् रहता है।

यहाँ एक और प्रश्न उभरता है कि आकलन एवं मूल्यांकन में क्या भेद है?

सामान्यतः आकलन और मूल्यांकन शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के पर्यायवाची के रूप में होता है। परिणामस्वरूप दोनों शब्दों में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। इस भ्रम को दूर करने हेतु यह आवश्यक है कि इन्हें दो भिन्न प्रक्रमों के रूप में समझा जाए। दोनों शब्दों के न्यायोचित उपयोग की दृष्टि से “आकलन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया उन्मुखी है जबकि मूल्यांकन परिणाम उन्मुखी है। कैसे?” आइए समझते हैं। आकलन और मूल्यांकन के उद्देश्यों पर अगर नज़र डालें तो पाएँगे कि आकलन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि बालक की उपलब्धि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान ‘किस’ प्रकार एवं ‘कितनी’ अच्छी हो रही

है। इस उपलब्धि के प्रमाणों को एकत्रित करने की दृष्टि से आकलन वांछित है। इसके विपरीत मूल्यांकन इन प्रमाणों के आधार पर अधिगम की गुणवत्ता निर्धारित करता है। इस प्रकार आकलन सुधार-केंद्रित होता है जबकि मूल्यांकन परिणाम-केंद्रित है। अतः हम समझ सकते हैं कि आकलन आगामी निष्पादनों को सुधारने में मदद करता है, जबकि मूल्यांकन वर्तमान निष्पादन की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए है।

शब्दों का ये जाल शायद इसे समझने में अड़चन पैदा करे। अतः एक उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य मात्र वैज्ञानिक संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं के विषय में जानकारी देना नहीं है वरन् इनको साधन बनाकर बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट क्षमताओं एवं कौशलों को विकसित करना है। अतः शिक्षक द्वारा प्रत्येक कौशल के विकास के विषय में जानकारी रखना ही विज्ञान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ न्यायोचित होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विषयवस्तु के विकास के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा— परीक्षण करना, संकल्पना निर्माण, प्रश्न पूछना, विचार-विमर्श करना, निष्कर्ष निकालना इत्यादि को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए स्वतः ही बालक में वैज्ञानिक कुशलताओं एवं कौशल का विकास अपेक्षित है। अतः विज्ञान विषय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया इन गतिविधियों के न्यायोचित सामंजस्य से प्रेरित होनी चाहिए।

यहाँ पर कक्षा सात की एक पाठ्यवस्तु को लेकर समझने की कोशिश करते हैं।

क्रियाकलाप के माध्यम से अम्ल-क्षार सूचकों के विषय में बालक सीखेंगे। शिक्षिका ने कक्षा में होने वाली गतिविधियों के आधार पर बच्चों को योजना बनाने एवं सामग्री जुटाने हेतु प्रेरित किया। इस कार्य के लिए बच्चों ने समूह बना लिए। शिक्षिका इस विषय पर संवेदनशील है कि समूह समावेशी हों जिसमें जाति, धर्म, लिंग, योग्यता इत्यादि के आधार पर कोई पक्षपात ना हो।

शिक्षिका ने कक्षा में प्रवेश करते ही भाँप लिया कि बच्चे उत्साहपूर्वक आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कक्षा में शिक्षिका के दाखिल होते ही सभी कुछ-कुछ बताने के लिए लालायित हो उठे।

राजा – हमारे समूह ने ये फूल एकत्रित किए हैं। लेकिन हमने फूल तोड़े नहीं हैं। नीचे गिरे फूलों को एकत्रित किया है।

रोशन – और हमने प्रयोगशाला से ये लिटमस (अम्ल-क्षार पत्र) ले लिया है।

रीता – नींबू, इमली, सोडा, हल्दी इत्यादि हम अपने घरों से ले आए हैं।

रंजना – मैंने सारा सामान इस विज्ञान किट में करीने से लगा दिया है।

इस प्रकार सभी समूहों ने बारी-बारी से एकत्रित किए सामानों का ब्योरा दे डाला। शिक्षिका खुश हैं कि सभी बच्चों ने कक्षा में होने वाली गतिविधियों की तैयारी में बढ़-चढ़ कर भागीदारी दिखाई। शिक्षिका ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए सामान को मेज पर व्यवस्थित करने का संकेत दिया।

शिक्षिका एक प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका निभाती हुई बालकों को विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। बालक विभिन्न

प्राकृतिक सूचकों द्वारा पदार्थों की प्रकृति का परीक्षण करते हैं। सभी बच्चे जुट गए। यही प्रक्रिया प्रतिदिन हुआ करती है पर पहले के दिनों में हुई प्रक्रिया और आज के दिन की प्रक्रिया में कहीं कुछ अंतर है। आइए जानते हैं। ‘पहले कुछ दिनों’ से यहाँ तात्पर्य उन दिनों से है जब शिक्षिका ने इन बच्चों को विज्ञान पढ़ाने का कार्यभार सँभाला। शिक्षिका के अनुसार लगभग 15-20 दिन पहले बच्चों का पढ़ाई के प्रति रवैया उदासीनतापूर्ण एवं बोझिल हुआ करता था। उन दिनों यह सब इतना सरल और सहज नहीं था। बच्चों में संकोच की भावना एवं व्यवहार अरुचिपूर्ण था। विषयवस्तु से संबंधित चर्चा में भी रुझान नगण्य-सा था लेकिन अब सभी बच्चे स्वेच्छापूर्वक कक्षा में हो रही गतिविधियों में भागीदारी दर्शाते हैं। इतना तो तय है कि बच्चों का रुझान कुछ करके सीखने की तरफ हो चुका है। शिक्षण की यह प्रक्रिया क्या आकलन और मूल्यांकन का हिस्सा नहीं बने? सोचिए शिक्षिका यह जाँच चुकी हैं कि किस बच्चे के भागीदारी स्तर में कितना सुधार आया है। यही उपलब्धि बच्चों के आकलन का आधार बन गई है।

गतिविधि आगे बढ़ी। बच्चे अम्ल-क्षार सूचकों से संबंधित क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। यहाँ पर ‘व्यस्त’ शब्द का अपना विशेष महत्त्व है। यही व्यस्तता शिक्षिका को आकलन के पैमाने सुझाती है। इन पैमानों के आधार पर ही शिक्षिका बच्चों के अधिगम स्तर को सुनिश्चित करेगी।

शिक्षिका – जरा देखें इस समूह ने क्या किया?

भावना – देखिए यह नीला पत्र इस विलयन में डालने से कैसे रंग बदलता है?

रंजना – जब लाल पत्र इसी विलयन में डाला तो कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ।

कमल – अरे पूरा पत्र विलयन में क्यों डाला। एक कोना डालकर देखती।

सीमा – विलयन में डालने की क्या आवश्यकता है। ये ड्रॉपर रखा तो है। इससे एक बूँद डालकर देखो।

सभी समूहों के अवलोकन के पश्चात् बच्चों को किए गए क्रियाकलाप का प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान किया गया। कक्षा में सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ प्रश्न अनबूझे रहे जिनका उत्तर खोजने की उत्सुकता लिए बच्चे अगले दिन की जाने वाली गतिविधियों की योजना बनाने के लिए तत्पर थे।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षिका निम्न बिंदुओं पर विचाराधीन हैं –

- बच्चों की अवलोकन क्षमता
- बच्चों की प्रेक्षण क्षमता
- क्रियाकलाप करने हेतु सामग्री की पहचान
- क्रियाकलाप करने की विधि के प्रति समझ
- पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं के उपयोग की समझ
- बच्चों के मध्य सहभागिता की भावना
- दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान
- धैर्य
- पदार्थों का न्यायोचित उपयोग, और
- पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि।

ये सभी बिंदु बालक में विकसित हो रही समझ एवं कौशल की ओर इशारा कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया

में यदि गणितीय पैमाने पर मूल्यांकन नहीं किया गया तो क्या बच्चों के अधिगम स्तर पर कुछ प्रभाव पड़ा? गणितीय अंकों की सीमाओं में बँधकर आकलन का उद्देश्य भी सीमित हो जाता है। समय-समय पर आकलन एवं सुझाव प्रेरणा स्रोत के रूप में आवश्यक हैं। परंतु जब यही आकलन बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं को आंकड़ों की सीमा में बाँध देता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रेरणा स्रोत की बजाय प्रतिस्पर्धा की भावना एवं आत्मविश्वास के लिए चुनौती के रूप में प्रस्तुत होता है जिसका परिणाम बालक में कुछ सीखने के प्रति अरुचि के रूप में प्रकट होने लगता है। इसलिए आकलन एवं मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अनिवार्य परंतु संवेदनशील अंग के रूप में प्रस्तुत होता है।

एक शिक्षक/शिक्षिका कक्षा में इसी प्रकार विभिन्न विषय वस्तुओं की प्रकृति एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के आधार पर, पैमानों को निश्चित कर बच्चों के आकलन की प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति की ओर प्रमुख कदम है।

एक शिक्षक के रूप में पूरे लेख में आपने खुद को कहीं-न-कहीं पाया होगा। मन में प्रश्न भी जरूर होगा कि मैं कक्षा में जो कर रहा हूँ / कर रही हूँ क्या वही सी.सी.ई है? जवाब भी स्पष्ट है कि बच्चों के साथ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से पूर्व हम कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति में हो रहे प्रयासों के दौरान प्रत्येक बालक की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में कुछ ऐसे सुधार लाते हैं जिससे सभी बालकों को

अंकों की आपाधापी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की किरण

संपूर्ण अवसर एवं लाभ मिल सकें ताकि अंत में कक्षा का प्रत्येक बालक निर्धारित किए गए स्तर पर पहुँच सके। इस प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को भले ही हम तकनीकी शब्दावलियों का जामा पहनाएँ परंतु

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अंतिम एवं एकमात्र उद्देश्य बालक के चहुँमुखी विकास पर बल देना है। दो पंक्तियों में अगर कहें तो – सी. सी. ई. का यही मंत्र है – सतत अभ्यास एवं व्यापक समझ।

संदर्भ

- एन.सी.ई.आर.टी. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली
- _____. 2008. *विज्ञान कक्षा 7*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली
- _____. 2015. *लर्निंग इंडीकेटर्स एंड लर्निंग आउटकम्स एट द एलीमेंटरी स्टेज*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.
- एम.एच.आर.डी. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (आर.टी.ई.)-2009. *प्रारंभिक शिक्षा*, mhrd.gov.in/hi/rte-hindi.